

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016 वैशाख 19, 1938
No. 188]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 4 अप्रैल, 2016

(बीमा सलाहकार समिति)

फा. सं. भा.बी.वि.पा./बी.स.स./6/118/2016. — बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की 3□-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:

निम्निलिखित सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से बीमा सलाहकार सिमिति के सदस्यों के रूप में 25 मई 2015 की अधिसूचना फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./7/97/2015 के अनुसार नियुक्त 23 सदस्यों के अतिरिक्त नियुक्त किया जाता है:-

- 1) सचिव, साधारण बीमा 🛮 रिषद, मुंबई
- 2) सचिव, जीवन बीमा 🛮 रिषद, मुंबई

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष [विज्ञा□न.] / 4/असा./68]

2292 GI/2016 (1)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 4th April, 2016 INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/6/118/2016 .—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following notification:

The following members are appointed as Members of the Insurance Advisory Committee with effect from the date of notification in addition to the 23 members as appointed vide Notification F.NO. IRDA/IAC/7/97/2015 dated 25th May, 2015:-

- 1) Secretary, General Insurance Council, Mumbai
- 2) Secretary, Life Insurance Council, Mumbai

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/68]